

सराहनीय कार्य दिनांक- 21.04.2026

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा बहला-फुसलाकर दो युवतियों को भगा ले जाने के प्रकरण में वांछित/प्रकाश में आये दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर, महोदय के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चिन्हित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा तत्परता एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

उक्त क्रम में थाना कोतवाली पर वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 16.04.2026 को मु0अ0सं0- 105/26 धारा 87 बी.एन.एस. के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें आरोप अंकित किया गया कि विपक्षी अभियुक्त द्वारा प्रार्थी पक्ष की दो पुत्रियों (आयु क्रमशः लगभग 22 वर्ष एवं 20 वर्ष) को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस टीम द्वारा तत्काल विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर एक अन्य अभियुक्त नंदकिशोर पुत्र कामता प्रसाद निवासी मोहल्ला ओमनगर थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद का नाम प्रकाश में आया। पुलिस टीम द्वारा सतत प्रयास, संभावित स्थानों पर दबिश एवं मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर दिनांक 20.04.2026 को समय करीब 22:30 बजे बरेली मोड़ क्षेत्र से वांछित अभियुक्त रवि पुत्र सतीश निवासी ग्राम सेगनपुर थाना अयाना जनपद औरैया (उम्र लगभग 20 वर्ष) को धारा 87 बी.एन.एस. तथा प्रकाश में आये अभियुक्त नंदकिशोर (उम्र लगभग 18 वर्ष) को धारा 137(2)/87 बी.एन.एस. के अंतर्गत विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। प्रकरण में अन्य तथ्यों एवं संभावित संलिप्तता के संबंध में जांच प्रचलित है तथा आवश्यकतानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :-

1. रवि पुत्र सतीश निवासी ग्राम सेगनपुर थाना अयाना जिला औरैया उम्र लगभग 20 वर्ष
2. नंदकिशोर पुत्र कामता प्रसाद निवासी मो0 ओमनगर थाना रसूलपुर जिला फिरोजाबाद उम्र 18 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 105/26 धारा 137(2)/ 87 बी.एन.एस. बी.एन.एस थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय -

बरेली मोड़ से दिनांक 20.04.2026 को समय करीब 22.30 बजे

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक अश्वनी कुमार सिंह थाना कोतवाली शाहजहाँपुर ।
2. उ0नि0 श्री मोहसिन अली थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर ।
3. हे0का0 201 अनिल कुमार थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर ।
4. हे0का0 709 मुनीम मलिक थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर ।